



स्वच्छ भारत

कार्यालय जिला पंचायत, नारायणपुर (छ0ग0)

दूरभाष :- 07781-252288 फ़ैक्स 07781-252287, Email : ceozpnarayanpur@gmail.com

-:: प्रेस विज्ञप्ति ::-

जिला पंचायत नारायणपुर में मनरेगा तथा प्रधानमंत्री की आवास योजना के 06 तकनीकी सहायको की संविदा नियुक्ति हेतु वांछित अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक दिनांक 21.07.2017 सायं 5.00 बजे तक स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से ही आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप, आरक्षण स्थिति, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाईट www.cgstate.gov.in, www.zpnarayanpur.gov.in & www.narayanpur.gov.in, तथा कार्यालय के सूचना पटल का अवलोकन किया जा सकता है।

आदेशानुसार


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत नारायणपुर

पृ.क./ 2246 /जि.प./स्था./2017-18

नारायणपुर दिनांक 05.07.2017

प्रतिलिपि :-

1. जिला सूचना अधिकारी, NIC नारायणपुर उक्त विज्ञापन को www.cgstate.gov.in, www.narayanpur.gov.in व जिले की वेबसाईट www.zpnarayanpur.gov.in पर अपलोड करने हेतु (विज्ञापन में PDF में)
2. सहायक जनसंपर्क अधिकारी, जिला नारायणपुर को सूचनार्थ कर, लेख है कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति प्रचलित दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करें।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत नारायणपुर



स्वच्छ भारत

कार्यालय जिला पंचायत, नारायणपुर (छत्तीसगढ़)

दूरभाष :- 07781-252288 फ़ैक्स 07781-252287, Email : ceozpnarayanpur@gmail.com

—:: संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन ::—

क्रमांक / 2247 / जि0पं0 / स्था. / MGNREGA / 2017-18

नारायणपुर दिनांक 05.07.2017

महात्मा गांधी नरेगा (MGNREGA) योजनांतर्गत जनपद पंचायत के स्वीकृत तकनीकी सहायको की संविदा नियुक्ति हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए दिनांक 21.07.2017 सायं 5.00 बजे तक विहित नियम एवं शर्तों के अधीन निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र केवल स्पीड एवं रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है।

पद का विवरण :-

क	पद का नाम	एकमुश्त संविदा वेतन	रिक्त पद की संख्या	अनारक्षित					अन्य पिछड़ा वर्ग					अनुसूचित जनजाति					अनुसूचित जाति				
				मुक्ता	महिला	विकलांग	भू.पू.सैनिक	योग	मुक्ता	महिला	विकलांग	भू.पू.सैनिक	योग	मुक्ता	महिला	विकलांग	भू.पू.सैनिक	योग	मुक्ता	महिला	विकलांग	भू.पू.सैनिक	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	तकनीकी सहायक मनरेगा	18900.00	6	1	1	-	-	2	1	-	-	-	1	1	1	-	-	2	1	-	-	-	1
योग :-			6	1	1	-	-	2	1	-	-	-	1	1	1	-	-	2	1	-	-	-	1

विज्ञापन की विस्तृत जानकारी नियम, शर्तें एवं आवेदन पत्र का प्रारूप आदि जिला पंचायत नारायणपुर के सूचना पटल एवं वेबसाईट www.zpnarayanpur.gov.in, narayanpur.gov.in & www.cgstate.gov.in पर देखी जा सकती है।

विज्ञापन की विस्तृत जानकारी, नियम एवं शर्त :-

शैक्षणिक योग्यता एवं चयन हेतु मेरिट अंक :-

क.	पदनाम	विवरण	शैक्षणिक योग्यता एवं चयन हेतु मेरिट अंक
1	2	3	4
1	तकनीकी सहायक मनरेगा	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	1. बी.ई (किसी भी ब्रांच से) बी.टेक (कृषि अभियांत्रिकी)
			2. पॉलिटैक्नीक डिप्लोमा 3. एम.एस.सी. (गणित/भौतिकी)
			4. बी.एस.सी. (गणित)
		चयन हेतु मेरिट अंक	1. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुए 70 अंक।
			2. शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्य अनुभव
			अ. न्यूनतम 01 से 02 वर्ष तक का अनुभव 05 अंक
			ब. 05 वर्ष तक का अनुभव 10 अंक।
			स. 05 वर्ष से अधिक का अनुभव 15 अंक।
		चयन मे प्राथमिकता क्रम	1. बी.ई/बी.टेक (सिविल/कृषि अभियांत्रिकी)
			2. पॉलिटैक्नीक डिप्लोमा (सिविल ब्रांच)
			3. बी.ई/ पॉलिटैक्नीक डिप्लोमा इंजीनियरिंग (किसी भी ब्रांच से)
			4. एम.एस.सी. (भौतिकी/गणित)
5. बी.एस.सी.(गणित)			

नियम व शर्त :-

1. संविदा नियुक्ति छ.ग. शासन द्वारा जारी संविदा नियम 2012 में निहित शर्तों के अनुसार की जावेगी।
2. शासन के नियमानुसार आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है।
3. संविदा नियुक्ति उम्मीदवार के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 31.03.2018 तक के लिए होगी, तत्पश्चात् नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग के आवश्यकता

के आधार पर व संविदा नियुक्ति व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर आगे बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा। संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वयंमेव समाप्त मानी जावेगी।


4. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश एवं 03 दिनों के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी, वर्ष के मध्य में नियुक्ति होने अथवा सेवामुक्त होने पर आकस्मिक अवकाश की पात्रता की गणना पूर्ण महिनों के लिए अनुपातिक आधार पर किया जावेगा। गणना के अपूर्ण दिवस को आगामी पूर्ण दिवस में पूर्णांकित किया जावेगा।
5. संविदा नियुक्ति पद की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, एवं बिना कारण बताए कभी भी समाप्त की जा सकती है।
6. प्रधान मंत्री आवास योजना अंतर्गत नियुक्त तकनीकी सहायको को महात्मा गांधी नरेगा योजना के मापदण्ड के अनुरूप संविदा वेतन देय होगा।
7. सेवा सामाप्ति के पश्चात कर्मचारी को किसी भी प्रकार की पेंशन भत्ता या अन्य राशि प्रदान नहीं की जावेगी।
8. अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। समक्ष अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करे।
9. छ.ग. सिविल सेवा (संविदा भर्ती नियम) 2012 के अनुसार दिनांक 01.07.2017 के अनुसार न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष होना चाहिए, अजा/अजजा/अपिव/निःशक्त/भूतपूर्व सैनिक आदि के आवेदको को छ.ग. शासन प्रशासन विभाग द्वारा जारी समय-समय पर आयु सीमा में छूट संबंधी आदेश निर्देश लागु होंगे।
10. आयु की गणना दिनांक 01.07.2017 के संदर्भ में की जाएगी।
11. आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट प्रमाण मान्य होगा।
12. अजा/अजजा/अपिव के आवेदको को जाति के पुष्टि में प्राधिकृत अधिकारी तहसीलदार/अनुभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
13. आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंक सूची एवं स्वप्रमाणित होने चाहिए। वांछित प्रमाण पत्र सत्यापित नहीं होने पर आवेदन अमान्य कर दिया जावेगा। इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
14. यह नियुक्ति माननीय न्यायालय द्वारा पारित रिट पीटीशन (सी) क्रमांक 591/2012, 2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 के अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन होंगी।
15. आवेदन पत्र प्रारूप के अनुसार ए-4 साईज आकार के कागज पर आवेदन करें। आवेदन पत्र पूर्ण रूप से साफ-साफ अक्षरों में भरा जाना चाहिये। आवेदन पत्र में पासपोर्ट साईज का स्वयं सत्यापित रंगीन

नवीनतम फोटो चिपकाना एवं स्वयं का पता लिखा दो लिफाफा (25 रू. डाक टिकट के साथ) संलग्न करना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन एवं सीधे प्राप्त आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।

16. लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख किया जावे। अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा। जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
17. शासकीय, अर्द्धशासकीय, स्वशासी संस्थानाओं में नियमित पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को अपने नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
18. आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करें।
19. **आवेदक जो पात्र नहीं होंगे :-**
 - i. जिन आवेदकों की 02 से अधिक संतानें हों, जिसमें से 01 का जन्म 26.01.2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
 - ii. महिलाओं के लिए 18 वर्ष एवं पुरुषों के लिए 21 वर्ष से कम आयु में विवाह करने वाले उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। ऐसे उम्मीदवार आवेदन न करें।
20. **नियुक्ति का तरीका :-** संविदा नियुक्ति हेतु राज्य/जिला स्तर के पदों हेतु राज्य के समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन पत्र आमंत्रित किया जावेगा।
 - i. प्राप्त आवेदन पत्रों की सूक्ष्म जांच की जाकर सभी पदों की पृथक-पृथक मेरिट सूची तैयार की जायेगी, जो स्वीकृत पदों के पांच गुना होगा।
 - ii. तैयार मेरिट सूची से सभी पदों के अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्रों की जांच एवं लिखित/प्रायोगिक परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा।
 - iii. मूल प्रमाण पत्रों की जांच/कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा के उपरांत योग्य अभ्यर्थी की नियुक्ति का आदेश संबंधित अधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा।
 - iv. चयनित अभ्यर्थियों के साथ अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची संविदा पदों पर कार्यभार ग्रहण करने वाले संख्या कम होने एवं कार्यभार ग्रहण करने पश्चात् पद त्याग की स्थिति को ध्यान में रखते हुए रखा जायेगा।
21. विज्ञापित पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
22. आवेदक का आवेदन दिनांक 21.07.2017 को सायं 5.00 बजे तक पंजीकृत/स्पीड डाक से जिला पंचायत नारायणपुर को अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए।
23. प्राप्त आवेदनों के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम एवं सर्व मान्य होगा।
24. नियुक्ति आदेश के पूर्व समस्त मूल प्रमाण पत्रों की जांच सही पाये जाने पर ही नियुक्ति आदेश प्रदान किया जावेगा।

25. नियुक्ति के पश्चात् जिला के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अयोग्य पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

“ कलेक्टर, जिला नारायणपुर द्वारा अनुमोदित ”


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत नारायणपुर

कार्यालय जिला पंचायत नारायणपुर, जिला – नारायणपुर (छ0ग0)


:: आवेदन पत्र का प्रारूप :-

जिस पद के लिए आवेदन किया जा है,

का पदनाम.....

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत नारायणपुर



1. आवेदक /आवेदिका का पूरा नाम (हिन्दी में) :.....
(अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में) :.....
2. पिता/पति का नाम (हिन्दी में) :.....
(अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में) :.....
3. लिंग (पुरुष/महिला) :.....
4. जन्म तिथि (अंको में) वर्ष.....माह.....दिन.....
(शब्दों में) :.....
5. दिनांक 01.07.2017 को आयु :.....
6. जाति/वर्ग (अजजा/अजा/अपिव/अनारक्षित) :.....
7. शैक्षणिक योग्यता/तकनीकी दक्षता की जानकारी (पद के लिए न्यूनतम योग्यता की से शुरू करें)

कं.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि/संस्था का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

8. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन का विवरण :
- क) रोजगार कार्यालय का नाम :
- ख) प्रथम पंजीयन क्रमांक व दिनांक :
- ग) नवीनीकरण कराये जाने की तिथि :
- घ) अगली नवीनीकरण कराए जाने की तिथि :
9. क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है :
10. जिले का नाम :
11. स्थायी पता :
12. पत्र व्यवहार का पूरा पता :
- फोन/मोबाईल नम्बर :
13. कार्यानुभव (अनुभव प्रमाण पत्र व आदेश की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

क्र.	विभाग का नाम	पदनाम	अवधि

14. क्या आप विकलांग है। :
15. क्या उम्मीदवार विवाहित है (हां/नहीं) :
16. यदि विवाहित है तो विवाह का तिथि :
17. जीवित बच्चों की संख्या :
18. क्या आप आयु सीमा में छूट का दावा करते है यदि हां तो।
कितने वर्ष की :

संलग्न सत्यापित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति की सूची :-

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

6.....

7.....

8.....

9.....

10.....

11.....

12.....

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषित करता /करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत सभी जानकारी पूर्णतः सत्य है, इनमें कोई जानकारी गलत/असत्य पाए जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी। इन परिस्थितियों में नियुक्तकर्ता अधिकारी को बिना बताए मेरे आवेदन /चयन नियुक्ति को निरस्त करने का अधिकारी होगा एवं उसका निर्णय मुझे मोन्य होगा।

दिनांक -

स्थान -

आवेदक के हस्ताक्षर
(नाम एवं पूर्ण पता)